Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019
(12 भाद्र, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 67/के०अ० 47/1963/धा०20ख/2019, दिनांक 30 अगस्त, 2019 – हरियाणा राज्य में, प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल) के न्यायालय तथा उप मण्डल स्तर पर अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल) के न्यायालय के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करने बारे।	533–534
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त, 2019

संख्या का०आ० 67/के०अ० 47/1963/धा० 20ख/2019.– विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 47), की धारा 20ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में, प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल) के न्यायालय तथा उप मण्डल स्तर पर अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल) के न्यायालय को अपनी–अपनी अधिकारिता के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवसंरचना परियोजनाओं से सम्बधित संविदाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन किसी वाद के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करते हैं।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 30th August, 2019

No. S.O. 67/C.A. 47/1963/S. 20B/2019.— In exercise of the powers conferred by section 20B of the Specific Relief Act, 1963 (Central Act 47 of 1963), the Governor of Haryana, in consultation with the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, hereby designates the Court of Civil Judge (Senior Division) at District Headquarter and the Court of Additional Civil Judge (Senior Division) at Sub- Divisional level in each District in the State of Haryana to be a Special Court, within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under the said Act in respect of contracts relating to infrastructure projects.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

57324—C.S.—H.G.P., Chd.